राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.18(I-4)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 1723 – 1837 दिनांक : 21/2/13

–: आदेश :–

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 यथा संशोधित 2011 के अनुसार किया जा रहा है। उक्त मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर स्थापित किये गये हैं, जिनका परियोजना प्रबन्धक, अधिशाषी अभियन्ता (भू–संसाधन), जिला परिषद को घोषित किया गया है।

इन जलग्रहण परियोजनाओं की क्रियान्विति हेतु जारी संशोधित समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2011 के अनुच्छेद 29 के अनुसरण में सम्बन्धित जिला कलक्टर को जिला स्तर पर स्थापित वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर का अध्यक्ष घोषित किया जाता है।

सम्बन्धित वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर के अध्यक्ष के मुख्य कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. जिले में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना।
2. स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करना।
3. जिला स्तर पर गठित स्थायी समिति (विकास एवं उत्पादन) के समक्ष समयानुसार प्रगति, डी.पी.आर आदि प्रस्तुत करवाना।
4. जिला स्तर की साधारण सभा की बैठक में महात्मा गांधी नरेगा के अनुरूप परियोजनाओं की प्रगति आदि प्रस्तुत करवाना।
5. परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कर्न्वर्जेन्स के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करवाना।

उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ.18(I-4)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 1723-1837 दिनांक : 21-2-13

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर (समस्त)
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
9. उपनिदेशक(आईडब्ल्यूएमपी / जीविकोपार्जन / प्रशासन / एमआईईएस / मूल्यांकन / प्रशिक्षण / पशुपालन / कृषि / एनडब्ल्यूडीपी / परियोजना अधिकारी (भू–संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त)
11. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

निदेशक